संख्या-57/2019/1163/सैंतीस-2-2019-1(7)/2017

प्रेषक,

डा0 प्रहलाद बरनवाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-01 मई, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12/35-21/वे.का./2019-20, दिनांक-29.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-54/2019/959/सैंतीस-2-2019-1(7)/2017, दिनांक-24.04.2019 द्वारा विभिन्न मानक मदों में कुल रू0-54.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में विभिन्न मानक मदों में उल्लिखित सारिणी में सकल धनराशि रू0-54.15 लाख अंकित है परन्तु त्रुटिवश शब्दों में "रूपये चौंसठ लाख उन्चास हजार मात्र" अंकित हो गयी है। अतएव उपरोक्त शासनादेश दिनांक-24.04.2019 में त्रुटिवश अंकित "(रूपये चौंसठ लाख उन्चास हजार मात्र)" के स्थान पर धनराशि शब्दों में "(रूपये चौवन लाख पन्द्रह हजार मात्र)" पढ़ी जाये।

2- शासनादेश दिनांक-24.04.2019 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

पृ0सं0-57/2019/1163(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in